रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082020-221464
CG-DL-E-31082020-221464
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2020/भाद्र 9, 1942
No. 350] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2020/BHADRA 9, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2020

फा. सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/अधिसूचना 28.4/2010-एफ.एस.एस.ए.आई (2) .—केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 में और आगे संशोधन प्रस्तावित है जो, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा विनियमों को उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद लागू किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित और इसकी प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

उक्त मसौदा विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. (1) इन विनियमों को 'खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2019 कहा जा सकता है।

(2) ये इनके कार्यान्वयन की तिथि से लागू होंगे जो कि पहली जनवरी अथवा पहली जुलाई होगी और इनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन कि तिथि से न्यूनतम 180 दिन होगी।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के, –

(क) "विनियम 2.3 कतिपय उत्पादों के विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन" से संबंधित विनियम 2.3 के 'विक्रय की शर्तों संबंधी निर्बंधनों' से संबंधित उप-विनियम 2.3.14 के खंड (20) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,–

"(21) समाप्य खाद्य वस्तुओं के परिरक्षण/भंडारण/परिवहन के दौरान खाद्य उत्पादों के संपर्क में आने वाली गैर-खाद्य बर्फ, गैर-खाद्य बर्फ के ब्लॉकों सहित, की दिखावट नीली बनाने के लिए उनके उत्पादन में 10 पी.पी.एम तक इंडिगो कार्माइन अथवा ब्रिलिएंट ब्ल्यू का उपयोग किया जाए, जिससे उसे खाद्य बर्फ, जो रंगहीन ही रहे, से स्पष्ट रूप से अलग पहचाना जा सके।"

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन–III/4/असा./203/2020]

टिप्पणी : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या फाइल सं. 2-15015/30/2010, दिनांक 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनमें निम्निलखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया था:

i. फा. सं. 4/15015/30/2011, दिनांक 8 फरवरी, 2013;

ii. फा. सं. स्टैंडड्र्स/ओ एंड एफ/अधिसूचना(2)/एफ.एस.एस.ए.आई–2016, दिनांक 23 अगस्त, 2016;

iii. फा. सं. स्टैंडड्र्स/एफ एंड वी.पी/अधिसूचना (02)/एफ.एस.एस.ए.आई–2016, दिनांक 23 अगस्त, 2016;

iv. फा. सं. स्टैंडड्र्स/ओ एंड एफ/अधिसूचना (8)/एफ/एफ.एस.एस.ए.आई, दिनांक 31 जुलाई, 2018;

v. फा. सं. स्टैंडड्र्स/सहयोज्य–2/अधिसूचना/एफ.एस.एस.ए.आई/2018, दिनांक 25 जून, 2019;

vi. फा. सं. स्टैंडड्र्स/साल्ट/विविध/01/एफ.एस.एस.ए.आई–2016 (भाग 1), दिनांक 25 जून, 2019 और

vii. फा. सं. स्टैंडड्र्स/एडीटिव–03/अधिसूचना/एफएसएसआई/2018, दिनांक 21 जुलाई, 2020.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2020

F. No. 1-116/Scientific Committee/Notif.28.4/2010-FSSAI(2).—The draft regulations further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or may be sent by e-mail at regulation@fssai.gov.in;

Objections or suggestions which may be received with respect to the said draft regulations within the period specified above shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Draft Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Amendment Regulations, 2020.

   (2) They shall come into force with effective date for implementation to be either 1st January or 1st July subject to a minimum of 180 days from the date of their final publication in the official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulations, 2011,

   (1) In regulation 2.3, Prohibition and Restriction on sale of certain products, under sub-regulation 2.3.14 Restrictions relating to conditions for sale, after clause (20), following shall be inserted, namely-

   "(21) Indigo Carmine or Brilliant Blue up to 10 ppm must be used in production of non-edible ice, including non-edible ice blocks coming in contact with food products during preservation/storage/transportation of perishable food commodities, to give it a bluish look/appearance so as to enable clear differentiation with edible ice which must remain colourless."

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.–III/4/Exty./203/2020–]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers:

i. F. No. 4/15015/30/2011, dated the 8th February, 2013;

ii. F. No. Stds/O&F/Notification (2)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;

iii. F. No. Stds/F&VP/Notification (02)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;

iv. F. No. Stds/O&F/Notification (8)/FSSAI-2017, dated the 31st July, 2018;

v. F. No. Stds/Additives-2/Notification/FSSAI/2018, dated the 25 June, 2019

vi. F. No. Stds/Salt/Misc/01/FSSAI-2016 (pt-1), dated the 25 June, 2019 and

vii. F. No. stds/Additive-3/notification/FSSAI/2018, dated 21 July, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA